रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 19, 2002/चैत्र 29, 1924
No. 380] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 19, 2002/CHAITRA 29, 1924

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया

अधिसूचना

मुंबई, 28 मार्च, 2002

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की उपविधियों में संशोधन

का.आ. 452(अ).—ओटीसीईआई के निदेशक मंडल द्वारा 28 मार्च, 2002 को आयोजित अपनी बैठक एवं सेबी द्वारा 18 मई, 2001 के अपने पत्र सं. एलकेएस/229/2001 द्वारा किए गए अनुमोदन अनुसार।

उप-विधियों के अध्याय XV के पश्चात नये अध्याय XV-अ के रूप में निविष्ट :

XV-अ एक्सचेंजों के निदेशकों एवं पदाधिकारियों के लिए नीति-संहिता

उद्देश्य एवं अन्तर्निहित सिद्धांत

एक्सचेंज के निदेशकों एवं पदाधिकारियों के लिए नीति-संहिता का उद्देश्य कारोबार/व्यवसाय नीति के न्यूनतम स्तर को स्थापित करना है जिसका उचित एवं पारदर्शी बाजार स्थान स्थापित करने की दिशा में इन पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जाएगा. नीति-संहिता निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है :

- एक्सचेंज एवं निवेशकों से संबंधित मामलों में कार्रवाई करते समय निष्पक्षता एव पारदर्शिता
- विनियामक एजेंसियों/एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट सभी विधियों/नियमों/विनियमों का अनुपालन
- कर्तव्यों के निर्वहन में यथोचित परिश्रमिता का पालन करना
- निदेशकों/पदाधिकारियों के स्वयं के हितों तथा एक्सचेंज एवं निवेशकों के हितों के बीच हितों के टकराव को टालना

परिभाषाएं

1. पदाधिकारी : एक्सचेंज के जिन पदाधिकारियों पर यह संहिता लागू होगी उनके बारे में एक्सचेंज निर्णय करेगा किंतु इनमें महा प्रबंधक तथा उनसे ऊपर के पद के सभी अधिकारी शामिल होंगे.
2. परिवार : परिवार के सदस्यों में आश्रित पति/पत्नी, आश्रित बच्चे, आश्रित माता-पिता शामिल होंगे.
3. प्रतिभूतियां : इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रतिभूतियों में म्युच्युअल फंडों की यूनिटें तथा सरकारी प्रतिभूतियां शामिल नहीं होंगी.

नीति समिति

इस संहिता के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने हेतु सबंधित प्रबंध मंडल के अधीन प्रत्येक एक्सचेंज में एक नीति समिति गठित की जाएगी. इस समिति के 40% से अनधिक सदस्य चयनित निदेशक/एक्सचेंज सदस्य होंगे.

1. सामान्य मानक

i. निदेशक एवं पदाधिकारी नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति उच्चतर जागरूकता एवं समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे.
ii. निदेशकगण एवं पदाधिकारी अपने व्यवसाय का निर्वहन करते समय वाणिज्यिक गरिमा के उच्च मानकों तथा व्यापार के उचित एवं न्याससंगत सिद्धांतों का पालन करेंगे.
iii. कारोबारी जीवन में निदेशकों एवं पदाधिकारियों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए जोकि एक्सचेंज के अन्य सदस्यों के लिए अनुकरण करने हेतु मापदंड बन सके.
iv. निदेशकगण एवं पदाधिकारी एक्सचेंज के कार्यपालक अथवा प्रशासकीय स्टाफ, एक्सचेंज के आपूर्तिकर्ताओं अथवा एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किसी कंपनी की सहायता करने के लिए अथवा उनसे सहायता लेने के लिए अपने पद का उपयोग नहीं करेंगे.
v. निदेशकगण एवं पदाधिकारी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे एक्सचेंज की प्रतिष्ठा पर संकट आए.
vi. एक्सचेंज के निदेशकों, समिति सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रतिभूति बाजार पर लागू होनेवाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करना होगा.

2. स्वामित्व खाते में एक्सचेंज के चयनित पदाधिकारियों (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष) द्वारा प्रतिभूतियों में सौदे करने पर प्रतिबंध :

एक्सचेंज के पदाधिकारी (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष) अपने पदग्रहण की अवधि के दौरान प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व व्यापार नहीं करेंगे.

3. एक्सचेंज के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभूतियों में सौदों का प्रकटन :

i. एक्सचेंज के पदाधिकारी एक्सचेंज द्वारा किये गये निर्णय अनुसार (जोकि मासिक हो सकती है) आवधिक आधार पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों में किये गये अपने सभी सौदों का खुलासा प्रबंध मंडल/नीति समिति/पदनामित अनुपालन अधिकारी को करेंगे.

ii. प्रतिभूतियों में सौदों पर प्रतिभूतियों के लिए व्यापार प्रतिबंधों के प्रावधान भी लागू होंगे जिसके सबंध में एक्सचेंज के पदाधिकारियों के पास गैर-सार्वजनिक मूल्य संवदेनशीलता जानकारी हो सकती है. इस सबंध में सेबी द्वारा इनसाइडर व्यवसाय विनियमावली में निर्दिष्ट की गयी अपेक्षाओं का संदर्भ लिया जाए.

iii. सभी सौदे अनिवार्य रूप से निवेश प्रकृति के हों और वे सट्टे की प्रकृति के नहीं होने चाहिए. इसके लिए खरीदी गयी सभी प्रतिभूतियां बेचे जाने से पहले न्यूनतम 60 दिनों की अवधि तक धारित होनी चाहिए. तथापि विशिष्ट/अपवादात्मक स्थितियों में अनुपालन अधिकारी अथवा अन्य किसी पदनामित प्राधिकारी से, जो इस संबंध में अपनी संतुष्टि को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद इस शर्त को माफ करने के लिए अधिकार प्राप्त होगा, पूर्व अनुमति प्राप्त करने पर बिक्री किसी भी समय की जा सकती है.

4. एक्सचेंज के निदेशकों द्वारा प्रतिभूतियों में सौदों का प्रकटन :

i. एक्सचेंज के निदेशकों (खंड 2 के अनुसार चयनित पदाधिकारियों के अलावा) को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किये गये अपने स्वामित्व व्यापार के बारे में एक्सचेंज द्वारा किये गये निर्णय अनुसार (जोकि मासिक भी हो सकता है) आवधिक आधार पर नीति समिति को खुलासा करना होगा.

ii. सभी निदेशकों को उपर्युक्त अनुसार आवधिक आधार पर उन फर्मों/कंपनी निकायो द्वारा किये गये सौदों का खुलासा नीति समिति को करना होगा जिनमें वे 20% अथवा उससे अधिक का लाभकारी हित धारित करते हों अथवा नियंत्रणकारी हित धारित करते हों.

भारत सरकार के नामिती निदेशक तथा भारत सरकार के सांविधिक निकायों अथवा वित्तीय संस्थाओं के निदेशक जो अपनी स्वयं की संहिताओं से शासित हैं वे इस अपेक्षा से मुक्त रहेंगे.

5. हितों के टकराव से बचना

i. प्रबंध मंडल का कोई निदेशक अथवा एक्सचेंज की किसी समिति का सदस्य ऐसे किसी भी व्यक्ति/मामले के संबंध में किसी निर्णयन/न्याय निर्णयन में हिस्सा नहीं लेगा जिससे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरीके से जुड़ा हो अथवा हितबद्ध हो.

ii. किसी मामले में हितों में कोई टकराव है या नहीं इसका निर्णय प्रबंध मंडल द्वारा किया जाना चाहिए.

6. लाभकारी हित का प्रकटन

सभी निदेशकों एवं पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने पर निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होने पर प्रबंध मंडल के समक्ष खुलासा करना होगा,

i. किसी ब्रोकिंग संस्था में स्वयं तथा परिवार के सदस्यों और स्वयं की निदेशकता/भागीदारी तथा परिवार के सदस्यों के बीच कोई न्यासीय संबंध,

ii. शेयरधारिता ऐसे मामलों में जहां एक्सचेंज पर अथवा पूंजी बाजार से संबंधित अन्य संस्थाओं में सूचीबद्ध किसी कंपनी में निदेशक की शेयरधारिता प्रत्यक्ष रूप से अथवा उसके परिवार के जरिए 5% से अधिक हो,

iii. अन्य प्रकार का व्यवसाय हित.

7. एक्सचेंज के दैनंदिन कामकाज में अध्यक्ष/सभापति एवं निदेशकों की भूमिका

i. अध्यक्ष तथा निदेशकगण एक्सचेंज के दैनंदिन कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपनी भूमिका को नीतिगत मुद्दों पर निर्णयन प्रक्रिया तथा प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय किये गये मुद्दों तक सीमित रखेंगे.

ii. अध्यक्ष तथा निदेशकगण एक्सचेंज के कर्मचारियों के दैनंदिन कार्यों के निर्वहन को प्रभावित नहीं करेंगे.

iii. जब तक कि प्रबंध मंडल द्वारा विशिष्ट रूप से निर्णय न किया गया हो अध्यक्ष एवं निदेशकगण कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होंगे.

8. जानकारी तक पहुंच

i. निदेशकगण केवल विशिष्ट समितियों के हिस्से के रूप में अथवा प्रबंध मंडल द्वारा प्राधिकृत किये अनुसार ही जानकारी मांग सकेंगे.

ii. वे माध्यम निर्दिष्ट होंगे जिनके जरिए जानकारी का आदान-प्रदान होगा और यह भी कि उसका लेखा परीक्षा भी की जाएगी. गोपनीय दस्तावेजों/जानकारी की किसी प्रकार की पुनर्प्राप्ति को समुचित रूप से दर्ज करना होगा.

iii. सभी प्रकार की जानकारी विशेष रूप से वे जो गैर-सार्वजनिक तथा मूल्य संवेदी हों, गोपनीय रखी जाएंगी और उनका उपयोग किसी प्रकार के व्यक्तिगत हित/लाभ के लिए नहीं किया जाएगा.

iv. एक्सचेंज के कारोबार/परिचालनों से संबंधित जानकारी जो निदेशकों/पदाधिकारियों के दायित्व निर्वहन के दौरान उनके ध्यान में आती है वह पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी. उसे किसी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं किया जाएगा और उसका उपयोग उनके दायित्वों के निष्पादन के अलावा अन्य किसी रीति से नहीं किया जाएगा.

9. पद का दुरूपयोग

i. निदेशक/समिति सदस्य संस्था में अपने लिए अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए व्यवसाय अथवा कोई विशेष लाभ (दलाल जैसे मध्यवर्ती के रूप में अथवा व्यावसायिक अथवा परामर्शदाता जैसी अन्य किसी हैसियत से) प्राप्त करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे.

10. नीति समिति द्वारा प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा अनुपालन अधिकारी को पदनामित किया जाना

i. नीति समिति संहिता के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करेगी और संहिता के अधीन अपेक्षित प्रकटनों के लिए सूचनादायी प्रारूपों को विनिर्दिष्ट करेगी.

ii. नीति समिति अपने द्वारा निर्दिष्ट की गयी अपेक्षाओं के निष्पादन के लिए एक्सचेंज के एक वरिष्ठ अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित करेगी.

यद्यपि इस संहिता का उद्देश्य बाजार की निष्ठा तथा निवेशकों के आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि करना है तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि लिखित नीति संहिता उच्च नैतिक मानकों के पालन पूर्ण रूप से गारंटी प्रदान नहीं कर सकती है. यह तभी हासिल किया जा सकता है जब एक्सचेंज के निदेशक एव पदाधिकारी पूरी निष्ठा से प्रणाली की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को बढ़ाने की चुनौती के प्रति स्वयं को अक्षरश: प्रतिबद्ध करें.

[सं. 0757/02/एलएंडएस/032]

कृते ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया

प्रवीण मुहनोत, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

1313 GI/02-2

OTC EXCHANGE OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th March, 2002

AMENDMENTS TO THE BYE-LAWS OF OTC EXCHANGE OF INDIA

S.O. 452(E).—As approved by the Board of OTCEI at its meeting held on March 28, 2002 and by SEBI vide its letter No. LKS/229/2001 dated May 18, 2001.

INSERTED A NEW CHAPTER XV-A AFTER CHAPTER XV OF THE BYE-LAWS:

XV-A CODE OF ETHICS FOR DIRECTORS AND FUNCTIONARIES OF EXCHANGES

Objectives and Underlying Principles

The code of ethics for directors and functionaries of the exchange seeks to establish a minimum level of business/professional ethics to be followed by these functionaries, towards establishing a fair and transparent marketplace. The code of ethics is based on the following fundamental principles:

- Fairness and transparency in dealing with matters relating to the exchange and the investors
- Compliance with all laws/rules/regulations laid down by regulatory agencies/exchange
- Exercising due diligence in the performance of duties
- Avoidance of conflict of interest between self interests of directors/functionaries and interests of exchange and investors

Definitions

1. Functionaries: Functionaries of the exchange to whom this code shall be applicable shall be decided by the exchange but shall include all officials of the rank of General Manager and above.

2. Family: Family members will **include** dependent spouse, dependent children, dependent parents.

3. Securities: Securities for the purpose of this code shall not include mutual fund units and govt. securities.

Ethics Committee

For overseeing implementation of this code, an Ethics Committee shall be constituted by every exchange under the respective Governing Board. Not more than 40% of the members of this committee shall be elected directors/exchange members.

1. General Standards

i. Directors and functionaries shall endeavour to promote greater awareness and understanding of ethical responsibilities.

ii. Directors and functionaries, in the conduct of their business shall observe high standards of commercial honour and just and equitable principles of trade.

iii. The conduct of Directors and functionaries in business life should be exemplary which will set a standard for other members of the exchange to follow.

iv. Directors and functionaries shall not use their position to do or get favours from the executive or administrative staff of the exchange, suppliers of the Exchange or any listed company at the Exchange.

v. Directors and functionaries shall not commit any act, which will put the reputation of the Exchange in jeopardy.

vi. Directors, Committee Members and functionaries of the Exchange should comply with all rules and regulations applicable to the securities market.

2. Prohibition on dealings in securities in proprietary account by elected office bearers of the exchange (President/Vice President/Treasurer):

Elected office bearers (President/Vice President/Treasurer) of the exchange shall refrain from proprietary trades in securities, directly or indirectly, during the period of holding office.

3. Disclosure of dealings in securities by functionaries of the exchange:

i. Functionaries of the exchange shall disclose on a periodic basis as determined by the exchange (which could be monthly), all their dealings in securities, directly or indirectly, to the Governing Board/Ethics Committee/designated compliance officer.

ii. The dealings in securities shall also be subject to trading restrictions for securities about which functionaries in the exchange may have non-public price sensitive information. Requirement laid down under SEBI Insider Trading Regulations may be referred in this regard.

iii. All transactions must be of an investment nature and not speculative in nature. Towards this end, all securities purchased must be held for a minimum period of 60 days before they are sold. However, in specific/exceptional circumstances, sale can be effected anytime by obtaining pre-clearance from the compliance officer or any other designated authority who will be empowered to waive this condition after recording in writing his satisfaction in this regard.

4. Disclosure of dealings in securities by directors of the exchange:

i. Directors (other than elected office bearers as per clause 2) of the exchange shall disclose on a periodic basis, as determined by the exchange (which could be monthly), their proprietary trading, directly or indirectly, to the Ethics Committee.

ii. All Directors shall also disclose on a periodic basis as above, the trading conducted by firms/corporate entities in which they hold 20% or more beneficial, interest or hold a controlling interest, to the Ethics Committee.

Directors who are Govt. of India nominees or nominees of Govt. of India statutory bodies or Financial Institutions and are governed by their own codes shall be exempt from this requirement.

5. Avoidance of Conflict of Interest

i. No director of the governing board or member of any committee of the exchange shall participate in any decision making/adjudication in respect of any person/matter in which he is in any way, directly or indirectly, concerned or interested.

ii. Whether there is any conflict of interest or not in a matter should be decided by the governing board.

6. *Disclosures of beneficial interest*

All Directors and functionaries shall disclose to the Governing Board, upon assuming office and during their tenure in office, whenever the following arises,

i. Any fiduciary relationship of self and family members and directorship/partnership of self and family members in any broking outfit,

ii. Shareholding, in cases where the shareholding of the director, directly or through his family exceeds 5% in any listed company on the Exchange or in other entities related to the capital markets,

iii. Any other business interests.

7. *Role of the President/Chairman and directors in the dayto-day functioning of the Exchange*

i. The President and directors shall not interfere in the day-to-day functioning of the exchange and shall limit their role to decision making on policy issues and to issues as the Governing Board may decide.

ii. The President and directors shall abstain from influencing the employees of the Exchange in conducting their day-to-day activities.

iii. President and directors shall not be directly involved in the function of appointment and promotion of employees unless specifically so decided by the Governing Board.

8. *Access to Information*

i. Directors shall call for information only as part of specific committees or as may be authorised by the Governing Board.

ii. There shall be prescribed channels through which information shall move and further there shall be audit trail of the same. Any retrieval of confidential documents/information shall be properly recorded.

iii. All such information, especially which is non-public and price sensitive, shall be kept confidential and not be used for any personal consideration/gain.

iv. Any information relating to the business/operations of the exchange, which may come to the knowledge of directors/functionaries during performance of their duties shall be held in strict confidence, shall not be divulged to any third party and shall not be used in any manner except for the performance of their duties.

9. Misuse of position

i. Directors/committee members shall not use their position to obtain business or any pecuniary benefit (as intermediaries like brokers or in any other capacity like professional or consultancies) in the organization for themselves or family members.

10. Ethics Committee to lay down procedures and designate compliance officer

i. The ethics committee shall lay down procedures for the implementation of the code and prescribe reporting formats for the disclosures required under the code.

ii. The ethics committee may designate a senior officer of the exchange as compliance officer for executing the requirements laid down by it.

While the objective of this code is to enhance the level of market integrity and investor confidence, it is emphasized that a written code of ethics may not completely guarantee adherence to high ethical standards. This can be accomplished only if directors and functionaries of the exchange commit themselves to the task of enhancing the fairness and integrity of the system in letter and spirit.

[No. 0757/02/L&S/032]

For OTC Exchange of India

PRAVEEN MOHNOT, Managing Director and CEO

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.